जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय

मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज०) - 302026

▮ वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ▮ ई–मेल - jrrsu@yahoo.com ▮ टेलीफैक्सः 0141 - 2850564

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 24 / 10315 दिनांक- 28/9/2024

डॉ. गेह प्रदीप शर्मा
पुत्र श्री रामभरोसे शर्मा
45-ए, कनक विहार, स्कोन रोड,
विजयपथ, मानसरोवर,जयपुर- 302020

विषयः-एकल स्रोत उपापन के माध्यम से अनुसन्धान सलाहकार की सेवाऐं एक वर्ष के लिए लिये जाने हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में संचालित अनुसन्धान केन्द्र की विभिन्न शोध गतिविधियों एवं अन्य अनुसन्धान कार्यों में परामर्श कार्य हेतु अनुसन्धान केन्द्र में एक शोध सलाहकार की आवश्यकता है।

उक्त सेवाऐं आर.टी.पी.पी. नियम-2013 के नियम-17 के अनुसार एकल स्रोत उपापन पद्धति से ली जानी हैं। कृपया इस हेतु अपना प्रस्ताव निर्धारित अर्हताओं और वित्तीय अपेक्षाओं के साथ दिनांक 05.10.2024 को सायंकाल 03.00 बजे तक भिजवाये जाने का श्रम करें।

संलग्न – शोध सलाहकार की योग्यता, कार्य व शर्तें।

Sd/-
कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 24 / 10316-18 दिनांक- 28/9/24

प्रतिलिपि –

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति महोदय, जरारासंविवि., जयपुर
2. वित्त नियन्त्रक महोदय, जरारासंविवि, जयपुर
3. प्रभारी विश्वविद्यालय बैवसाईट को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना एसपीपीपोर्टल पर दिनांक 05.10.2024 तक अपलोड कराने हेतु प्रेषित है।
4. कार्यालय पत्रावली।

28/9/24
कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय
मदाऊ, भांकरोटा–मुहाना लिंक रोड़, जयपुर, (राज.) - 302026
वेबसाईट : www.jrrsanskrituniversity.ac.in ई–मेल - jrrsu@yahoo.com टेलीफैक्सः 0141 - 2850564

क्रमांक प.( ) जरारासंविवि/ अनु.केन्द्र / 24 / 10315

दिनांक- 28/9/2024

अनुसन्धान केन्द्र पर शोध सलाहकार हेतु निर्धारित योग्यता कार्य व शर्तें

(अ) शोध सलाहकार हेतु निर्धारित योग्यताः-

1. किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से आचार्य कक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ पारम्परिक शास्त्रीय विषय में (विद्यावारिधि) पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त होना अनिवार्य है।
2. किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्रोजेक्ट कार्य का 02 वर्ष का अनुभव होना अपेक्षित है।
3. अनुसन्धान कार्य का 08 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
4. 08 शोध लेख प्रकाशित होना अपेक्षित है।
5. 15 सेमीनार प्रमाण पत्र किया होना अपेक्षित है।
6. संस्कृत के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्पर्धा का प्रमाण पत्र अपेक्षित है।
7. कम्प्यूटर का जानकार होने के साथ – साथ संस्कृत टंकण कार्य एवं यूनिकोड फोन्ट पर कार्य करने का उत्तम ज्ञान अपेक्षित है।

(ब) शोध सलाहकार के निर्धारित कार्य व शर्तें-

1. विश्वविद्यालय के सभी कार्य दिवसों में विश्वविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
2. माह में एक दिन का आकस्मिक अवकाश देय / स्वीकृत होगा। अनुपस्थित दिनों हेतु मानदेय में से समानुपातिक रुप से प्रति दिन की दर से कटौती की जावेगी।
3. विश्वविद्यालय के परिनियम / अधिनियम / आदेशों की पालना सुनिश्चिंत करनी होगी।
4. विश्वविद्यालय के उच्चाधिकारियों एवं निदेशक, अनुसन्धान केन्द्र द्वारा प्रदत्त आदेश / निर्देशों का पालन करना होगा।
5. सेवायें पूर्णतया अस्थायी होगी तथा इस हेतु किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करेगें।
6. विश्वविद्यालय में शोध सलाहकार के पद पर स्थाई नियुक्ति होने पर सेवायें स्वतः समाप्त मानी जावेगी।
7. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने पर विश्वविद्यालय द्वारा सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
8. किसी प्रकार के अन्य लाभ / भत्ते की माँग नहीं करेंगें।
9. विश्वविद्यालय में अनुसन्धान की व्यवस्था एवं समन्वय करना, अभिनव ज्ञान की सर्जना, अपव्यय के अवरोधन तथा कर्मकौशल में सुधार लाने हेतु अपने स्वयं के नेटवर्क से एक डाटाबेस तैयार करना, शोधार्थियों के कार्यों में सहयोग प्रदान करना अधिकतम सामाजिक एवं आर्थिक लाभों के लिए अनुसन्धान के प्राथमिकता क्षेत्रों को परिचिह्नित कर कार्यों को करना। सभी शास्त्रीय भाषाओं के दुर्लभ ग्रन्थों, उपयोगी प्रकाशनों एवं पाण्डुलिपियों के एक पुस्तकालय का निर्माण करना आदि शोध सलाहकार के कार्य होंगे।
10. अनुसन्धान केन्द्र के कार्यालयीय कार्यों में सहयोग प्रदान करना होगा।
11. सेवायें न्यूनतम एक माह के नोटिस एवं एक माह के मानदेय जमा कराने पर समाप्त करने पर विचार किया जा सकेगा।

2. शोध सलाहकार को कार्यालय समय में विश्वविद्यालय द्वारा निहित कार्यालय समय पर उपस्थित होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा अशैक्षणिक स्टाफ के लिए घोषित राजकीय अवकाश देय होंगे ।

13. विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक माह की उपस्थिति व कार्य का उचित प्रमाणन करने के पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा ।

14. उक्त अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि हेतु शोधसलाहकार व कुलसचिव के मध्य उक्त वर्णित शर्तों के अनुसार सम्पादित किया जाएगा ।

15. शोध सलाहकार व विश्वविद्यालय के मध्य पारस्परिक सहमति से अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए और बढाई जा सकेगी ।

16. प्राप्त निविदा को स्वीकार करने के लिए विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है । विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने, और प्रक्रिया को रद्द करने तथा संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय अस्वीकार करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है ।

17. शोध सलाहकार को निर्धारित प्रतिमाह देय राशि मानदेय का 10 प्रतिशत नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती कर विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा ।

कुलसचिव
जरारासंविवि, जयपुर